<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
04.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पोंजी स्कीम के एक मामले में मेसर्स क्राउन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के 04 बैंक खातों के रूप में 4.07 करोड़ रुपये (लगभग) (कुल) की चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें मेसर्स क्राउन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक जगजीत सिंह और उनके सहयोगियों ने पंजाब में आम जनता के सदस्यों को अपनी गाढ़ी कमाई उक्त सोसाइटी में जमा करने के लिए, उच्च रिटर्न के झूठे प्रतिनिधित्व और आश्वासन देकर, बेईमानी से प्रेरित किया, जिससे जमाकर्ताओं को धोखा दिया गया और गलत नुकसान हुआ।

पंजाब पुलिस द्वारा मेसर्स क्राउन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफ.आई.आर. के आधार पर ई.डी. ने जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स क्राउन क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक जगजीत सिंह, उपाध्यक्ष श्रीमती गुरमीत कौर और इसके एजेंटों ने आम जनता को धोखा दिया था, जिन्हें मेसर्स क्राउन क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अपनी गाढ़ी कमाई जमा करने के लिए निवेश पर उच्च रिटर्न और उनके पैसे को जल्दी से दोगुना करने का वादा देकर प्रेरित किया गया था। बाद में इन फंडों को व्यक्तिगत उपयोगों और अन्य निवेशकों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे घोटाले का पैमाना बढ़ गया। अब तक की गई जांच से पता चला है कि निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि मेसर्स क्राउन क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के 04 बैंक खातों में एकत्र और समेकित की गई थी, जिन्हें ईडी द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।